क्रम-संख्या–114

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 23 जुलाई, 2020

श्रावण 1, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–6

संख्या 1260/आठ-6–20-111(10)-एस-83

लखनऊ, 23 जुलाई, 2020

अधिसूचना

प०आ०–159

चूँकि राज्य सरकार ने नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन), अधिनियम, 1976, (अधिनियम संख्या 33 सन् 1976) और नगर भूमि (अधिकतम सीमा विनियमन निरसन अध्यादेश 1999) (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1999) को संविधान के अनुच्छेद 252 के अधीन अंगीकार कर लिया है।

और, चूँकि, उपर्युक्त अध्यादेश की धारा 4 में व्यवस्था है कि अधिनियम के अधीन किये गये किसी आदेश या दिये जाने के लिए आशायित किसी आदेश से सम्बन्धित सभी कार्यवाहियाँ, जो उपरोक्त अध्यादेश के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या किसी प्राधिकारी के समक्ष लम्बित थी, उपशमित हो जायेंगी, किन्तु उक्त धारा 4 के परन्तुक अनुसार उपर्युक्त अधिनियम की धारा 11, 12, 13 व 14 से सम्बन्धित कार्यवाहियाँ जहाँ तक ऐसी कार्यवाहियाँ ऐसे भूमि के सम्बन्ध में हैं, जिसका राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा या सक्षम प्राधिकारी द्वारा कब्जा लिया जा चुका है, उपशमित नहीं होगी ;

और, चूँकि, यह आवश्यक है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 11 से सम्बन्धित कार्यवाहियों की निरन्तरता के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जाय;

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 6 के साथ पठित उपर्युक्त अध्यादेश की धारा 4 के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसरण में राज्यपाल उपर्युक्त अधिनियम सन् 1976 की धारा 2 के खण्ड (घ) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या 669/आठ–6–20–111 (10)-एस-83, दिनांक 21 मई, 2020 का अतिक्रमण करते हुए श्री गुलाब चन्द्र, मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी को सन् 1976 की उपर्युक्त अधिनियम की धारा 11 के प्रयोजन के लिए वाराणसी नगर बस्ती के सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए दिनांक 28 जून, 2020 से प्राधिकृत करते हैं।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1260/VIII-6–20-111(10)-S-83, dated July 23, 2020 :

No. 1260/VIII-6–20-111(10)-S-83

Dated Lucknow, July 23, 2020

WHEREAS the State Government has adopted the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (Act no. 33 of 1976) and the Urban Land (Ceiling and Regulation) Repeal Ordinance, 1999 (Ordinance no. 5 of 1999) under article 252 of the Constitution ;

AND, WHEREAS, section 4 of the aforesaid Ordinance provides that all proceedings relating to any order made or purported of to be made under the aforesaid Ordinance before any Court, Tribunal or any authority shall abate but according to the proviso to the said section 4 the proceedings relating to section 11, 12, 13 and 14 of the aforesaid act in so for as such proceedings are relatable to the land possession of which has been taken over by the State Government or any person duly authorised by the State Government in this behalf or by the Competent Authority, shall not abate ;

AND, WHEREAS, it is necessary to authorise an officer to be the competent Authority for the purposes of continuing the proceedings relating to section 11 for the aforesaid Act ;

NOW, THEREFORE, in pursuance of the provisions of the proviso to section 4 of the aforesaid Ordinance *read* with section 6 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in supersession of notification no. 669/Aath-6-19-111(10)-S-83, dated May 21, 2020 the Governor is pleased to authorise under clause (d) of section 2 of the aforesaid Act of 1976 Sri Gulab Chandra, Chief Revenue Officer, Varanasi to perform the functions of the competent authority for the purposes of section 11 of the afroresaid Act of 1976 of entire Urban Agglomeration Varanasi with effect from the dated June 28, 2020.

By order,
DEEPAK KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 127 राजपत्र (हि०)–2020–(266)–599+50=649 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।